

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03-06/17 पार्ट II

शुद्धि पत्र

उद्योग निदेशालय आदेश ज्ञापांक-3425 दिनांक-05.10.18 के स्तम्भ-2 में अभ्यर्थियों के नाम के क्रमांक-5 (पाँच) में अंकित 'श्रीमती मालती देवी श्रीवास्तव' के स्थान पर 'श्रीमती मालती श्रीवास्तव' पढ़ा जाय।

(2) शेष यथावत् रहेगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03-06/17 पार्ट II


प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को आदेश ज्ञापांक-3425, दिनांक-05.10.18 की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4440 /पटना, दिनांक 21.11.19

1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03-06/17 पार्ट II

प्रतिलिपि:- उ० सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को आदेश ज्ञापांक-3425, दिनांक-05.10.18 की छायाप्रति के साथ उनके पत्रांक-1508 दिनांक-03.11.18 के प्रसंग में ~~X~~ आई० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।
21.11.19